प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7896 वर्ष 2011</u>

<u>तथा 14 अन्य संबंधित प्रकरण</u>

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

<u>विरूद्ध</u>

शौकी लाल

<u>दिनाँक 21 फरवरी 2012 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें।</u>

हस्ताक्षर

टी.पी. शर्मा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7896 वर्ष 2011

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,
   जिला रायगढ़ (छ.ग.)
2. तहसीलदार, रायगढ़,
   जिला रायगढ़ (छ.ग.)
3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,
   रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादी

शौकी लाल, आयु 48 वर्ष,
पिता—पति राम, जाति—गाड़ा,
निवासी ग्राम शिवपुरी,
तह. एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7897 वर्ष 2011

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,
   जिला रायगढ़ (छ.ग.)
2. तहसीलदार, रायगढ़,
   जिला रायगढ़ (छ.ग.)
3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,
   रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादी

वीसा पावर लिमिटेड,

द्वारा श्री चिरंजीव अग्रवाल,

पिता—स्व. रामाशंकर अग्रवाल,

आयु लगभग 32 वर्ष,

निवासी- 50, सुभाष, कोतरा रोड, रायगढ़,

तह. एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7898 वर्ष 2011</u>

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विरूद्ध</u>

उत्तरवादी

ननकी राम, आयु 50 वर्ष,

पिता-श्री मुनूराम, जाति-गंडा,

निवासी ग्राम गोपालपुर, रायगढ़,

तह. एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7899 वर्ष 2011</u>

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

उत्तरवादी

खुदुती बाई (वास्तविक नाम-खुइती बाई),

आयु लगभग-ज्ञात नहीं,

पति-स्व. श्री धरमदास, जाति-पनिका,

निवासी ग्राम उर्दना,

तह. एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7900 वर्ष 2011</u>

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

उत्तरवादी

गुरुवारी बाई,

पति-श्री लक्ष्मीनारायण, जाति-पनिका,

निवासी ग्राम बैकुंठपुर,

तह. एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7901 वर्ष 2011</u>

याचिकाकर्तागण(अनावेदक)

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

   जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

   जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

   रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

उत्तरवादी(आवेदक)

मेसर्स आलोक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,

सुभाष चौक, रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7902 वर्ष 2011</u>

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

   जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

   जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

   रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

उत्तरवादी

मेसर्स आलोक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,

सुभाष चौक, रायगढ़ (छ.ग.)

<u>रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7903 वर्ष 2011</u>

याचिकाकर्ता — छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

उत्तरवादी — मणिराम, पिता-जम्हाराम,

जाति-गाड़ा, आयु 62 वर्ष,

निवासी ग्राम कुस्वाबहरी,

तह. एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7904 वर्ष 2011</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण — 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

उत्तरवादी — मुकेश कुमार अग्रवाल,

आयु लगभग 34 वर्ष, पिता-ज्ञात नहीं,

निवासी रायगढ़,

तह. एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7905 वर्ष 2011

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,
   जिला रायगढ़ (छ.ग.)
2. तहसीलदार, रायगढ़,
   जिला रायगढ़ (छ.ग.)
3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,
   रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादी

मेसर्स आलोक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,
सुभाष चौक, रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7906 वर्ष 2011

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,
   जिला रायगढ़ (छ.ग.)
2. तहसीलदार, रायगढ़,
   जिला रायगढ़ (छ.ग.)
3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,
   रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादी

मेसर्स आलोक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,
सुभाष चौक, रायगढ़ (छ.ग.)

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7907 वर्ष 2011

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

   जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

   जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

   रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादी

मेसर्स आलोक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,

सुभाष चौक, रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7908 वर्ष 2011

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

   जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

   जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

   रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादी

मेसर्स आलोक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,

सुभाष चौक, रायगढ़ (छ.ग.)

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7909 वर्ष 2011

याचिकाकर्तागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादी — मेसर्स आलोक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,

सुभाष चौक, रायगढ़ (छ.ग.)

तथा

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7910 वर्ष 2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण — 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. तहसीलदार, रायगढ़,

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय,

रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण — 1. हरिहर, आयु 38 वर्ष,

पिता-स्व. श्री गोदालो, जाति—गंडा।

2. सपनाई, आयु 60 वर्ष,

पति-स्व. श्री गोदालो, जाति—गंडा।

उक्त दोनों निवासी ग्राम जुरदा,

रायगढ़, तह. एवं जिला रायगढ़

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिकाएं)

(आदेश हेतु दि.13-2-2012 को सुरक्षित रखा गया)

<u>उपस्थित</u>-

श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता राज्य/याचिकाकर्ताओं हेतु ,

श्री श्रीकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री आनंद कुमार गुप्ता एवं श्री कमल किशोर पटेल अधिवक्तागण उत्तरवादी मेसर्स आलोक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7901/2011, 7902/2011, 7905/2011, 7906/2011, 7907/2011, 7908/2011 एवं 7909/2011 में,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री मतीन सिद्दीकी, अधिवक्ता रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7899/2011 में,

श्री विनीत कुमार पांडेय, अधिवक्ता सहित श्री एस.डी. सिंह, अधिवक्ता—रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7903/2011 में, उत्तरवादी की ओर से

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7896/2011, 7897/2011, 7898/2011, 7900/2011 एवं 7910/2011 में उत्तरवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि उन्हें तामील हो चुकी है।

रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्र. 7904/2011 में भी उत्तरवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उसे जारी किया गया नोटिस अपूर्ण पते के कारण बिना तामील के वापस प्राप्त हुआ।

<u>एकलपीठ: माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायमूर्ति</u>

आदेश

(दिनाँक 21-02-2012)

1. उपर्युक्त रिट याचिकाएँ, राजस्व मंडल, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं तथा इनमें एक समान विधिक प्रश्न अंतर्निहित होने के कारण, इन सभी का निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उपर्युक्त रिट याचिकाएँ प्रस्तुत कर, राज्य/याचिकाकर्तागण द्वारा उक्त आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है, जिसके माध्यम से राजस्व प्राधिकारियों एवं उप-पंजीयक को कोटवारों के पक्ष में, निम्नलिखित प्रकरणों में क्रेताओं के पक्ष में विक्रय विलेख के पंजीकरण और जानकारी प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है:

स.क्र.	राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश की तिथि व राजस्व प्रकरण क्र.	विक्रेता/कोटवार का नाम, जिसके नाम पर भूमि 'भूमिस्वामी' के रूप में दर्ज है, साथ ही यह पृष्ठांकन कि राज्य से प्राप्त यह भूमि अहस्तांतरणीय है	प्रस्तावित क्रेता का नाम
1.	15-2-2012, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ ए-39/10(सी)/2010	शौकी लाल	कमल किशोर अग्रवाल
2.	22-10-2010, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ विविध/142/2010	दया दास	विसा पावर लिमिटेड द्वारा चिरंजिव अग्रवाल
3.	22-10-2010, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ विविध/145/2010	ननकी राम	सुशील कुमार अग्रवाल
4.	8-10-2010, विविध प्रकरण क्र.	खुइती बाई	इंद्रपाल सिंह भाटिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	एम/ 13/ विविध/114/2010		
5.	8-10-2010, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ विविध/115/2010	श्रीमती गुरूवारी बाई	सुरेश कुमार बंसल
6.	18-8-2009, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 25/2009	गायत्री चौहान	मेसर्स आलोक इन्फो-टेक प्राइवेट लिमि.
7.	18-8-2009, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 29/2009	संतोष कुमार	मेसर्स आलोक इन्फो-टेक प्राइवेट लिमि.
8.	21-09-2010, पुनरीक्षण प्रकरण क्र. आरएन/13/ आर/ 461/2009	मनी राम	पवन चौहान
9.	21-9-2010, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ विविध/90/2010	घासी राम	मुकेश कुमार अग्रवाल
10.	18-8-2009, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 36/2009	पलटन	मेसर्स आलोक इन्फो-टेक प्राइवेट लिमि.
11.	18-8-2009, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 28/2009	राथुराम	मेसर्स आलोक इन्फो-टेक प्राइवेट लिमि.
12.	18-8-2009, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 23/2009	सिरोबाई	मेसर्स आलोक इन्फो-टेक प्राइवेट लिमि.
13.	18-8-2009, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 32/2009	पंचराम	मेसर्स आलोक इन्फो-टेक प्राइवेट लिमि.
14.	18-8-2009, विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 24/2009	पुरनलाल चौहान	मेसर्स आलोक इन्फो-टेक प्राइवेट लिमि.
15.	22-10-2010, विविध प्रकरण क्र.	हरिहर व सपनाई	सुशील कुमार अग्रवाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	एम/ 13/ विविध/146 ए/2010		

3. उपरोक्त प्रकरणों में राजस्व मंडल द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 8 के अंतर्गत पारित आदेशों के अनुसार, जिन विक्रेताओं/कोटवारों के नाम कोटवारी भूमि/सेवा भूमि के रूप में भूमिस्वामी दर्ज है तथा जिनकी ऋण पुस्तिका में "शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय" का उल्लेख अंकित है, उन्होंने उक्त भूमि को क्रेताओं के पक्ष में विक्रय करने हेतु विक्रय अनुबंध निष्पादित किया, विक्रय विलेख के निष्पादन के उद्देश्य से उन्होंने 22 बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु पटवारी से तथा दस्तावेज के पंजीयन हेतु उप-पंजीयक से संपर्क किया, जिन्होंने उक्त जानकारी प्रदान करने से तथा पंजीयन करने से इंकार कर दिया। अतः विक्रेताओं/ कोटवारों द्वारा उक्त पृष्ठांकन से संबंधित किसी भी निर्देश को अप्रभावी एवं शून्य घोषित किए जाने तथा आगे पटवारी एवं उप-पंजीयक को जानकारी प्रदान करने और पंजीयन किए जाने हेतु निर्देश देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, राजस्व मंडल द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किए गए तथा पटवारी को 22 बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने तथा संबंधित पंजीयक को दस्तावेज का पंजीयन करने का निर्देश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित आदेशों, तथाकथित कोटवारों की ओर से प्रस्तुत आवेदनों की प्रतिलिपियों तथा अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपियों का अवलोकन किया।

5. श्री सुशील दुबे, राज्य/याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क किया कि विवादित भूमि कथित विक्रेताओं/कोटवारों को उनकी सेवा के प्रतिफलस्वरूप आवंटित की गई थी तथा वे छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता , 1959 की धारा-

183 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त भूमि को सेवा भूमि के रूप में धारित किए हुए हैं तथा उक्त भूमि राजस्व अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अंतरणीय नहीं है। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवंटित की गई भूमि, छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(7-ख) के अंतर्गत कलेक्टर की अनुमति के बिना अंतरणीय नहीं है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने रिट याचिका (सिविल) क्र. 1148/2010 (**मेला दास एवं अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**) में दिनांक 23-3-2010 को पारित आदेश पर विश्वास व्यक्त किया, जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा खसरा अभिलेखों में "शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय" के रूप में प्रविष्टि किए जाने का निर्देश संहिता के प्रावधानों के अनुरूप है तथा न तो संहिता के किसी प्रावधान का और न ही उसके अधीन निर्मित नियमों का उल्लंघन करता है, अपितु यह भूमिस्वामियों के अधिकारों के हित में है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह तर्क किया है कि विवादित भूमि कोटवारों को उनकी सेवा के प्रतिफलस्वरूप प्रदान की गई है तथा ऐसी भूमि छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 183 के प्रावधानों के अनुसार अंतरणीय नहीं है। अतः मात्र भूमिस्वामी की प्रविष्टि किए जाने से भूमि का स्वरूप एवं उस पर अधिकार परिवर्तित नहीं हो जाते। राजस्व मंडल इस प्रकार के आदेश पारित करने हेतु सक्षम नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, श्री श्रीकुमार अग्रवाल, श्री मतीन सिद्दीकी, श्री विनीत कुमार पांडेय एवं श्री एस.डी. सिंह ने रिट याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क किया कि इस न्यायालय द्वारा दि.3-5-2001 को रिट याचिका क्र. 2064/2000 (टीकाराम एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश के आलोक में, कोटवारों को उनके द्वारा अथवा उनके पूर्वजों द्वारा वर्ष 1950 से पूर्व धारित भूमि के संबंध में अथवा जो उन्हें वर्ष 1950 को या उससे पूर्व आवंटित की गई थी, उन पर भूमिस्वामी के अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं। भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए जाने के पश्चात् कोटवारों को पूर्ण एवं अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त हो गए हैं, जिनमें किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भूमि का अनयसंक्रामण/विक्रय/अंतरण करने का अधिकार

भी सम्मिलित है। पटवारी 22 बिंदुओं की विक्रय संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य था तथा पंजीयक/उप-पंजीयक प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का पंजीयन करने के लिए विधिक रूप से कर्तव्यबद्ध था, किंतु उन्होंने नियमों के अनुपालन में विफलता प्रदर्शित की। अतः पर्यवेक्षणीय अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करते हुए राजस्व मंडल द्वारा आक्षेपित आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किए गए |

7. उपर्युक्त सभी रिट याचिकाओं में एक समान विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या राजस्व मंडल द्वारा राजस्व अधिकारियों जैसे पटवारी या पंजीकरण प्राधिकारी को ऐसा निर्देश जारी करना न्यायसंगत था, जो कि संहिता की धारा 8 के अंतर्गत पर्यवेक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए, अथवा मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी के रूप में किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. राजस्व मंडल के समक्ष कोटवारों/विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के अनुसार, उन्हें आवंटित भूमियों पर "शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय" इस पृष्ठांकन के साथ 'भूमिस्वामी' के अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा उक्त भूमियां कोटवारों के आधिपत्य में थीं। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में सुधार कर दिया गया है और उन्हें उपरोक्त पृष्ठांकन के साथ 'भूमिस्वामी' के रूप में दर्शाया गया है।

9. कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा दि. 25/30-09-04 को जारी परिपत्र क्र. 04/5686 रायगढ़ को, रिट याचिका (सिविल) क्र.1148/2010 **मेला दास** (पूर्वोक्त) के मामले में प्रश्नगत किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कलेक्टर द्वारा जारी परिपत्र और उसमें निहित निर्देश, संहिता (भू-राजस्व संहिता) के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं तथा ये भूमिस्वामियों के अधिकारों के हित में हैं। उपरोक्त पृष्ठांकन संहिता के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त परिपत्र के आधार पर, पटवारी 22 बिंदु

जानकारी प्रदान नहीं कर रहे हैं और उप-पंजीयक पंजीकरण करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्नगत भूमियों को ऋण पुस्तिका में, जो कि एक प्रामाणिक राजस्व अभिलेख है, में अहस्तांतरणीय भूमि के रूप में दर्शाया गया है।

10. वर्तमान मामले में, कोटवारों द्वारा संहिता की धारा-158 की उप-धारा(3) के अनुसार राज्य अथवा कलेक्टर अथवा आवंटन अधिकारी द्वारा उन्हें दिए गए पट्टे या आवंटन के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार के तहत भूमियां धारण की जा रही हैं, जो कि उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदान किए गए इस प्रतिबंध के अधीन हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तिथि से दस वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी भूमि का हस्तांतरण नहीं करेगा। विधायिका द्वारा भूमि के हस्तांतरण के लिए निर्धारित अवधि हेतु पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भूमिस्वामियों द्वारा भूमि का हस्तांतरण संहिता की धारा-165 की उप-धारा (7-ख) के अधीन है, जो संहिता की धारा-158 की उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार से भूमिस्वामी के रूप में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा भूमि के हस्तांतरण को और अधिक प्रतिबंधित करता है; और कलेक्टर की अनुमति के बिना ऐसा व्यक्ति ऐसी भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. कोटवारों के अधिकार पूर्णतः संहिता की धारा-158 की उप-धारा (3) के परंतुक और संहिता की धारा-165 (7-ख) के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। **मेला दास** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने यह निर्णित किया है कि ऋण पुस्तिका सहित राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियाँ और ऐसी भूमि को बेचने पर प्रतिबंध, संहिता के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप हैं तथा ये भूमिस्वामियों के अधिकारों के हित में हैं।

12. संहिता की धारा 158 की उप-धारा (3) के परंतुक के आलोक में, विक्रेता/कोटवार निर्धारित समय के भीतर भूमि का हस्तांतरण करने के लिए सक्षम नहीं थे और उसके पश्चात, वे

कलेक्टर की अनुमति के बिना भूमि का हस्तांतरण करने हेतु सक्षम नहीं थे। वर्तमान मामले में, कोटवारों ने संहिता की धारा-165 (7-ख) के तहत अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है, बल्कि सीधे राजस्व मंडल की शरण ली है। वैधानिक आवश्यकताओं के आलोक में, राजस्व मंडल संहिता के प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा **मेला दास** (पूर्वोक्त) के मामले में पारित आदेश के उल्लंघन में आक्षेपित आदेश पारित करने हेतु सक्षम नहीं था और न ही उसके पास ऐसा कोई क्षेत्राधिकार था। राजस्व मंडल, मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में भी आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं था। राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश उसकी सामर्थ्य से परे थे। राजस्व मंडल के लिए यह न्यायोचित और सामर्थ्यपूर्ण नहीं था कि वह ऐसे वैधानिक प्रावधानों को शिथिल करे या आक्षेपित आदेश के माध्यम से पटवारी या उप-पंजीयक को निर्देशित करे, विशेषकर संहिता की धारा 165 (7-ख) के तहत कलेक्टर के किसी आदेश के अभाव में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इसके अतिरिक्त, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अनिल कुमार जैन विरूद्ध माया जैन, (2009) 10 एससीसी 415** के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, वैधानिक आवश्यकताओं को शिथिल करने का आदेश केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया जा सकता है; उक्त शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी या न्यायालय में निहित नहीं है।

14. परिणामस्वरूप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रस्तुत सभी रिट याचिकाएं स्वीकार किए जाने योग्य हैं और तदनुसार उन्हें स्वीकार किया जाता है। राजस्व मंडल, बिलासपुर द्वारा दि. 15-2-2010 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ ए-39/ 10 (सी) / 2010 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 22-10-2010 को विविध प्रकरण क्र. एम /13/ विविध/142/2010 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 22-10-2010 को विविध प्रकरण क्र. एम/

13/ विविध/145/2010 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 8-10-2010 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ विविध/114/2010 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 8-10-2010 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ विविध/115/2010 को पारित आक्षेपित आदेश, दि. 18-8-2009 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 25/2009 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 18-8-2009 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 29/2009 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 9-2-2010 को पुनरीक्षण प्रकरण क्र. आर एन/13/ आर/ 461/2009 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 21-9-2010 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ विविध/90/2010 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 18-8-2009 को विविध प्रकरण क्र. एम/13/आर/36/2009 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 18-8-2009 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/28/2009 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 18-8-2009 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/23/2009 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 18-8-2009 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 32/2009 में पारित आक्षेपित आदेश, दि. 18-8-2009 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ आर/ 24/2009 में पारित आक्षेपित आदेश, और दि. 22-10-2010 को विविध प्रकरण क्र. एम/ 13/ विविध/146 ए/2010 में पारित आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर

टी.पी. शर्मा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv Vartika Verma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur